



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट— थाना स्योहारा

दिनांक 30.01.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38 / 25 धारा 191(1) / 191(2) / 333 / 109(1) / 115(2) / 352 / 351(3) / 3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.01.2025 को वादी श्री मुनीर पुत्र यासीन नि0 मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मरगूब पुत्र यासीन 2.मौ0 आजम पुत्र मरगूब 3.सलमान पुत्र मरगूब 4. शबनम पत्नी मरगूब निवासी गण मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 5.फैय्याज पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 मौ0 हकीमपुरा कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा बिजनौर द्वारा वादी को एक राय होकर वादी के घर में घुसकर गाली गलौच कर लात घुसो व लाठी डण्डो से मारपीट की तथा व अभियुक्त मरगूब ने वादी को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 38 / 25 धारा 191(1) / 191(2) / 333 / 109(1) / 115(2) / 352 / 351(3) / 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 30.01.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मरगूब पुत्र यासीन निवासी मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. मरगूब पुत्र यासीन निवासी मौ0 शेखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2— मुख्य आरक्षी 595 प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 3— आरक्षी 2069 राजकुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट— थाना कोतवाली देहात**      **दिनांक 30.01.2025**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 16/25 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 30.01.2025 को वादी श्री ज्ञान चन्द पुत्र चन्दु सिंह निवासी ग्राम मिलक कद्दूसपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री ने अपनी मर्जी से ग्राम के ही रहने वाले गजराज पुत्र शेर सिंह निवासी मिलक कद्दूसपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर से शादी की थी। गजराज वादी की पुत्री के साथ मारपीट करता था। दिनांक 28/29.01.2025 की रात्रि में गजराज ने वादी की पुत्री की मारपीट कर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 16/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 30.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 16/25 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त गजराज पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम मिलक कद्दूसपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. गजराज पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम मिलक कद्दूसपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

- 1— प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2— उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 3— आरक्षी 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 30.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चोरी की चार घटनाओं का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को चोरी किए गए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.01.2025 को वादी सलमान पुत्र सफीक अहमद निवासी ग्राम निजामतपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.हारुन पुत्र सदरुद्दीन निवासी ग्राम बडकला थाना को0 शहर जनपद बिजनौर 2. अकरम पुत्र शमीम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर के से दो जोड़ी चाँदी की पाजेब व एक चाँदी की अँगूठी व एक छल्ला चोरी करके ले जाते समय एक अभियुक्त



हारुन उपरोक्त को वादी द्वारा मौके से ही पकड लेने के संबंध में थाना कोतवाली शहर मु0अ0स0 70/2025 धारा 305(1)/317(2)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 28/01/2025 को वादी मौ0 महताब पुत्र श्री हमीदुल्ला निवासी ग्राम निजामतपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर घर में से एक घड़ी, एक अंगूठी, 35000 रुपये व कपड़े चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 72/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 15.10.24 को द्वारा वादिया श्रीमति अफसरी पत्नी तसलीम निवासी ग्राम जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण (1) वसीम (2) सलीम पुत्रगण मुखतार निवासीगण जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर मे चोरी कर लेने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 984/2024 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 31.12.2024 को वादी शकील अहमद पुत्र श्री अ0 रज्जाक निवासी ग्राम फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र आरिफ के घर से एक लाकेट, एक जोड़ी बूदें व 40,000 रुपये/- तथा वादी के ही ग्राम जाकिर पुत्र मौ0 हुसैन के घर से एक लाकेट, एक जोड़ी बूदें, एक पेन्डिल व एक जोड़ी पायल व एक घड़ी चोरी कर ले जाने सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 1183/2024 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. अकरम पुत्र शमीम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को चांदपुर रोड पर पेट्रोल पम्प के पास से 02 घड़ी , एक अंगुठी पीली धातु तथा एक अंगुठी पीली धातु लेडिज, दो जोड़ी पजेब सफेद धातु, एक जोड़ी हथफूल सफेद धातु, एक जोड़ी बूदा/झुमकी पीली धातु व एक लोकिट गले का पीली धातु बरामद हुई तथा एक बैग में चोरी किए गए कपडे सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

**नोट-** दिनांक 28.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को हारुन पुत्र सदरुद्दीन उपरोक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अकरम पुत्र शमीम निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**बरामदगी:-**

02 घड़ी , एक अंगुठी पीली धातु तथा एक अंगुठी पीली धातु लेडिज, दो जोड़ी पजैब सफेद धातु, एक जोड़ी हथफूल सफेद धातु, एक जोड़ी बूदा/झुमकी पीली धातु व एक लोकिट गले का पीली धातु।

**आपराधिक इतिहास अकरम उपरोक्त:-**

- 1.मु0अ0सं0 49/2015 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 177/2015 धारा 379/41/4141 भादवि 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 3/25 आयुद्ध थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 427/2023 धारा 323/324/427/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 819/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- मु0अ0सं0 1219/2014 धारा 382/394/411/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 1334/2014 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 0072/2025 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 0070/2025 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 0984/2024 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0सं0 1183/2024 धारा 305(1)317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- 1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1860 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1198 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.का0 112 गौरव निर्वाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर प्रेस नोट— थाना मण्डावर

दिनांक 30.01.2025

**थाना मण्डावर पुलिस ने चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को चोरी के सामान व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।**

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.01.2025 को वादी श्री राकेश कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रिसालत अली पुत्र मौ0 आजम 2.इरफान पुत्र नूर मौहम्मद निवासीगण ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.विकुल पुत्र रामेन्द्र निवासी किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व अन्य ग्रामवासियों के खेतों से ट्यूबवेल से तार व मोटर चोरी कर लिए। इस संबंध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 04.01.2025 को थाना मण्डावर पर वादी श्री चन्द्रमोहन पुत्र ओमप्रकाश निवासी रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से कपडे, बर्तन व आभूषण चोरी कर लिये गये। इस संबंध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में उपरोक्त अभियुक्तगण रिसालत, इरफान व विकुल के नाम प्रकाश में आये।

दिनांक 29.01.2025 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र राजू सिंह निवासी मौ0 काजियान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाइकिल (यूपी 20 एक्स 4789) को चोरी कर लिया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में उपरोक्त अभियुक्तगण रिसालत, इरफान व विकुल के नाम प्रकाश में आये।

### कार्यवाही—

आज दिनांक 30.01.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रिसालत अली पुत्र मौ0 आजम 2.इरफान पुत्र नूर मौहम्मद निवासीगण ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.विकुल पुत्र रामेन्द्र निवासी किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से नलकूपों से चोरी किये गये केविल के तार, केविल से निकाला गया तांबा व तार काटने के उपकरण (मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित), 02 जोड़ी पायल सफेद धातु व एक नाक की लौंग

पीली धातु(मु0अ0सं0 05/25 धारा 305ए बीएनएस से संबंधित) तथा चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे यूपी 20 एक्स 4789 (थाना किरतपुर के मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित) को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.रिसालत अली पुत्र मौ0 आजम निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.इरफान पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3.विकुल पुत्र रामेन्द्र निवासी किशनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण—

- 1— नलकूपों से चोरी किये गये केविल के तार, केविल से निकाला गया तांबा व तार काटने के उपकरण—02 लोहे के प्लास व एक लोहे का कटर (मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित)
- 2— 02 जोड़ी पायल सफेद धातु व एक नाक की लौंग पीली धातु(मु0अ0सं0 05/25 धारा 305ए बीएनएस से संबंधित)
- 3— चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे यूपी 20 एक्स 4789 (थाना किरतपुर के मु0अ0सं0 16/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित)

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिसालत अली उपरोक्त—

- मु0अ0सं0 591/2022 धारा 379/411 भादवि थाना पटेलनगर जनपद देहरादून ।  
मु0अ0सं0 266/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 05/2025 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरफान उपरोक्त—

- मु0अ0सं0 591/2022 धारा 379/411 भादवि थाना पटेलनगर जनपद देहरादून ।  
मु0अ0सं0 05/2025 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकुल उपरोक्त—

- मु0अ0सं0 84/2022 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 101/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 266/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 05/2025 धारा 305(1)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।  
मु0अ0सं0 16/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 2— उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 3— उ0नि0 विपिन कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 4— हे0का0 62 कपिल शर्मा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 5— हे0का0 08 अमित राणा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 6— हे0का0 781 धन सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

7- आरक्षी 1238 प्रविश कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शिवालाकलां

दिनांक 30.01.2025

**थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0स0 150/24 धारा 376/323/506 भादवि0 व 3/ 4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.12.2024 को वादिया ने थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.12.2021 को अभियुक्त आदित्य पुत्र गोपाल नि0 ग्राम मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को अपने घर पर बुलाकर गलत कार्य किया व शादी का झांसा देकर 03 वर्षों तक गलत कार्य करता रहा । बाद में शादी करने के लिए 10 लाख रुपये, गाडी की मांग की तथा अभियुक्त आदित्य व उसकी मां ने वादिया को जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0स0 150/24 धारा 376/323/506 भादवि0 व 3/ 4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही:-

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आदित्य पुत्र गोपाल नि0 ग्राम मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदित्य पुत्र गोपाल नि0 ग्राम मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

### आपराधिक इतिहास आदित्य उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 150/24 धारा 376/323/506 भादवि0 व ¾ दहेज एक्ट थाना शिवालाकलां बिजनौर
- 2.मु0अ0स0 5/25 धारा 351(3) बीएनएस थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी विरेन्द्र कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 रवितैगोर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 693 राहुल कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 4.का0 68 शेखर मलिक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 5.का0 1900 दीपक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 30.01.2025

**जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शेरकोट	अशोक कुमार सैनी पुत्र लक्ष्मण सिंह सैनी नि० मौ० बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2	हीमपुर दीपा	दिलशाद उर्फ महमूद पुत्र मंगलू नि० ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
3	हीमपुर दीपा	शफीक पुत्र अब्दुल रसीद नि० ग्राम मुढाल थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
4	रेहड़	शीशराम पुत्र शम्भू सिंह नि०ग्रा० केहरीपुर जंगल थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
5	रेहड़	बैनी पुत्र विहारी सिंह नि०ग्रा० केहरीपुर जंगल थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
6	रेहड़	कृपाल उर्फ मोटी पुत्र बिहारी सिंह नि०ग्रा० केहरीपुर जंगल थाना रेहड़ जनपद बिजनौर



थाना शेरकोट



थाना हीमपुर दीपा



थाना रेहड़